

EVENT REPORT

Workshop Title: “Debriefing Workshop: Presentation of Preliminary Results – Feasibility Study for the Programme *“Conservation and Restoration of Catchment Areas of the Barak River, India”*”

Date & Time: October 22, 2026 | 9:00 AM – 1:30 PM IST

Venue: NEC Conference Hall, Shillong, Meghalaya

Organised By: Feasibility Study Team (GFA Consulting Group, Germany) in association with North Eastern Council (NEC) and NERCORMS

Key Stakeholders: Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER), North Eastern Council (NEC), KfW Development Bank, NERCORMS, and, Guwahati University, Brahmaputra Board, Guwahati, NIT, Silchar, NERWALM, Tezpur representatives from the States of Assam, Manipur, Nagaland, and Mizoram.



1. Executive Summary

The Debriefing Workshop was convened on October 22, 2026, in Shillong to present the preliminary findings of the Feasibility Study for the KfW-assisted programme on the **“Conservation and Restoration of Catchment Areas of the Barak River in the States of Assam, Manipur, Mizoram and Nagaland”**. The session brought together regional policy makers, state technical heads, and study consultants to review the field assessment findings spanning 19 districts across four northeastern states, validate the proposed Theory of Change (ToC), examine the modular intervention packages, and deliberate on the institutional implementation framework and risk-mitigation measures.

The programme is designed as an **8-year, open/thematic initiative** adopting a **6-year implementation cycle per selected village/site**. The overarching strategic premise established during the workshop is anchored on **“Community depth + Departmental scale**

+ **Selective infrastructure,**" prioritizing nature-based solutions, springshed and upper-catchment restoration, livelihood strengthening, and disaster risk reduction.

2. Workshop Proceedings by Session

The workshop was chaired by Shri Satinder Kumar Bhalla, Secretary, NEC. Attended by Shri Angshuman Dey, Joint Secretary, MDoNER, Shri Thanglemlian, Financial Adviser, NEC, Smt. Sherry Laithangzo, Economic Adviser, NEC, Shri Kayio Kayina Th. Managing Director, NERCORMS, other senior officers from NEC & NERCORMS, Feasibility Study team led by GFA, Germany, Experts from NIT, Silchar, Guwahati University, Brahmaputra Board, etc. The workshop was also attended by Senior Officials of the States of Assam, Nagaland, Manipur & Mizoram through Video Conferencing.

Session 1: Summary of Field Assessment Results (9:20 AM – 10:00 AM)

The study team outlined the diagnostic assessment process across designated river reaches, distinguishing between upper catchments (water/soil retention), middle reaches (runoff/sediment retardation), and lower floodplains (storage and exposure management):



- **Geographical Coverage:** 19 Districts across 4 States.
 - **Assam (4 Districts):** Cachar, Hailakandi, Sribhumi (Karimganj), and Dima Hasao; 4 district consultations, 27 site/village visits. Observations highlighted extensive floodplain inundation, embankment breaching, wetland fragmentation, and severe hill degradation/landslides in Dima Hasao.
 - **Manipur (5 Districts):** Jiribam, Noney, Pherzawl, Senapati, and Tamenglong; 1 state consultation, 3 district consultations, 16 sites visited. Key issues noted were river shifting and backwater flooding in lower Jiribam, alongside hill-slope instability and sedimentation induced by road/rail cutting.

- **Nagaland (2 Districts):** Kohima and Peren; 1 state consultation, 2 district consultations, 6 sites visited. Characterized by drying springs, high gully erosion, land subsidence, and reliance on customary village administration.
- **Mizoram (8 Districts):** Aizawl, Champhai, Khawzawl, Kolasib, Lunglei, Mamit, Saitual, and Serchhip; 1 state consultation, 8 district consultations, 21 sites visited. Challenges include monsoon runoff, steep-slope Jhum erosion, road-cutting collapses, and riverbank scouring.
- **Core Takeaway:** The programme boundary must explicitly filter out mega-structural public works (e.g., massive embankments, primary highway stabilization) which require separate statutory mandates and public finance, focusing instead on targeted bioengineering, springshed rejuvenation, and decentralized community catchment treatments.

Session 2: Intervention Logic & Theory of Change (10:00 AM – 10:40 AM)

The team articulated the overarching objective:

"The natural resources and ecosystem functions of sub-catchments of the Barak River are restored, protected and managed in an inclusive and sustainable manner in selected vulnerable areas."

The intervention logic structures the programme around **six interlinked outputs**:

1. Participatory sub-catchment planning and river basin governance capacities strengthened.
2. Wetland, springshed, riparian, and catchment ecosystems restored and conserved.
3. Forests and agroforestry landscapes sustainably managed and rehabilitated.
4. Climate-resilient, conservation-linked livelihoods, land use, and value chains developed.
5. Disaster preparedness and targeted flood/erosion risk reduction enhanced.
6. Programme management, Environmental & Social (E&S) safeguards, monitoring, and knowledge management institutionalized.



Session 3: Components, Delivery Modalities & "No-Regret" Measures (10:40 AM – 11:40 AM)

- **Phased Roll-out:** An 8-year duration structured into:
 - *Pilot Phase (Years 1–2):* ~100 villages implementing immediate entry, no-regret interventions.
 - *Main Phase (Years 3–6):* 560 villages scaling holistic treatments.
 - *Consolidation/Completion Phase (Years 7–8):* Final 460 villages, phase-out, and sustainability handover.
- **Village Implementation Cycle:** A standardized 6-year operational model per village transitioning systematically through: (1) Mobilization & Diagnosis (2) Early Implementation (3) Integrated Roll-out (4) Consolidation (5) Handover Preparation (6) Exit & Community Sustainability.
- **No-Regret Interventions:** Early-entry investments that provide immediate socio-economic and environmental returns independent of future climate uncertainty. Key examples include rooftop rainwater harvesting, springhead recharge pits/chambers, community seed and bio-input resource centers (BRCs), solar lift irrigation, and paravet training.
- **Core Technical Packages:**
 - *Component I: River Basin Management & DRR* (Gully plugs, porcupines, geo-jute slope stabilization, early warning systems).
 - *Component II: Landscape Restoration & Conservation* (Springshed rejuvenation, wetland ecological restoration, sediment traps).
 - *Component III: Soil & Water Conservation* (Contour brushwood terraces, SALT systems, field bunding, mulching).
 - *Component IV: Livelihood & Value Chain Enhancement* (SHG revolving funds, NTFPs, handloom/weaving, post-harvest processing).
 - *Component V: Community Development & Customary Governance* (NaRMG formation, community natural resource protocols).

Session 4: Area Identification & Site Selection Approach (11:50 AM – 12:20 PM)

Recognizing that the programme can directly cover less than 20% of the 3,000+ basin villages, a **3-Step Selection Funnel** was presented:

1. **Step 1 – Priority Intervention Zones (10,000–15,000 ha):** Macro-delineation of sub-catchments using GIS multi-layer overlays (forest density, Jhum concentration, wasteland/erosion severity, wetland status).
2. **Step 2 – Village Prioritisation (Excel Ranking Tool):** Ranking villages in paired uphill and downhill lots based on degradation intensity, water stress, road-market connectivity, and line-department convergence potential.

3. **Step 3 – Selection of Pilot Villages (up to 4 per cluster):** Selection of manageable sites (low conflict risk, presence of community reserves, strong local readiness) to establish model demonstration hubs.

Session 5: Institutional Set-Up & Implementation Architecture (12:20 PM – 12:50 PM)

The programme adopts an independent implementation structure under the aegis of MDoNER and NEC, operating through NERCORMS as the regional implementing agency:

Tier / Level	Coordinating & Governing Body	Operational Implementation Unit	Roles & Key Responsibilities
National / Regional	Programme Governing Council (Chair: MDoNER Secy); Programme Executive Committee (Chair: Secy NEC)	Regional Programme Management Unit (RPMU / NERCORMS) with Implementation Consultants	Strategic direction, AWPB approvals, regional fund flow, procurement oversight, inter-state policy resolution.
State Level	State Coordination Committee (Chair: Additional Chief Secretary)	State PMU (SPMU) located in Silchar, Imphal, Aizawl, and Kohima	Inter-departmental convergence (Forest, WRD, Agriculture), state-level work plan consolidation, procurement support.
District Level	District Oversight Committee (Chair: Deputy Commissioner; Co-Chair: DFO)	District Support Teams (DSTs) comprising WRD/Civil Engineer, NaRM Expert, and Rural Dev./Livelihoods Expert	Field technical screening, DPR vetting, supervision of village micro-plans, DLO coordination, safeguards compliance.
Village / Community	Traditional Village Councils / Gram Panchayats	Natural Resource Management Groups (NaRMGs) with SHGs/FIGs	Micro-planning, force-account community works execution, local maintenance, social audit, public financial disclosure.

Session 6: Risks, Safeguards & Climate Screening (12:50 PM – 1:10 PM)

- **Environmental & Social Safeguards (KfW Sustainability Guidelines / World Bank ESS Framework):** Rated as **Category B+ (Substantial Risk)**. Mandatory safeguards frameworks to be finalized prior to appraisal include:
 - *ESS1/ESS2*: Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), Environmental & Social Management Plan (ESMP), and Labor Management Procedures (LMP).
 - *ESS5/ESS7*: Livelihood Restoration Plans (LRP) and Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF) ensuring Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) under customary land tenures.
 - *ESS10*: Stakeholder Engagement Plan (SEP) and village-to-basin Grievance Redress Mechanisms (GRM).
- **Climate Risk Profiling:** Baseline screening indicated high vulnerabilities to extreme rainfall pulses, landslides, and extended dry-season water stress across all states. All engineered and bioengineering assets must be screened against CMIP6 / CORDEX projections (SSP2-4.5 to SSP3-7.0) to avoid constructing on active geohazard pathways.

4. Key Deliberations and Stakeholder Feedback

1. **Customary Land Tenure & Local Ownership:** Representatives from Nagaland and Mizoram emphasized that because land is communally or privately held under customary councils, formal MoUs and upfront benefit-sharing frameworks are vital before initiating physical works or tree planting.
2. **Infrastructure Boundaries:** Consensus was reached that while road-cutting spoil and highway landslides cause immense damage, the project cannot absorb civil engineering costs for public transport corridors. Inter-agency coordination must instead mandate spoil management by infrastructure developers.
3. **Execution Capacity & NGO Quality:** Participants noted uneven village institution capacities. NERCORMS must roll out structured, modular capacity-building programmes for supporting NGOs and line department field functionaries early in the pre-inception phase.

4. Key Recommendations and Next Steps

1. **Pre-Inception State MoUs:** Finalize Memoranda of Understanding between NEC/NERCORMS and the four State Governments outlining site selection criteria, inter-departmental convergence mechanisms, and operational staffing for SPMUs/DSTs.
2. **Refinement of Detailed Project Report (DPR):** Integrate field assessment notes into state-specific DPR annexures, incorporating the calibrated 3-step GIS site selection methodology.
3. **Finalization of E&S Instruments:** Expedite the formal preparation of the ESMP, IPPF, and GRM protocols required for final KfW appraisal clearance.

4. **Readiness for the 100-Village Pilot:** Complete spatial delineation of the initial pilot clusters to initiate community entry and roll out no-regret measures immediately upon programme effectiveness.



कार्यक्रम प्रतिवेदन

कार्यशाला का शीर्षक: "डीब्रीफिंग कार्यशाला: प्रारंभिक परिणामों की प्रस्तुति – कार्यक्रम "बराक नदी, भारत के जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन" हेतु व्यवहार्यता अध्ययन"

दिनांक एवं समय: 22 अक्टूबर, 2026 | पूर्वाह्न 9:00 बजे – अपराह्न 1:30 बजे (IST)

स्थान: उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) सम्मेलन कक्ष, शिलांग, मेघालय

आयोजक: व्यवहार्यता अध्ययन दल (जीएफए कंसल्टिंग ग्रुप, जर्मनी), उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) एवं NERCORMS के सहयोग से

प्रमुख हितधारक: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER), उत्तर पूर्वी परिषद (NEC), केएफडब्ल्यू विकास बैंक (KfW), NERCORMS, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), सिलचर, NERWALM, तेजपुर तथा असम, मणिपुर, नागालैंड एवं मिजोरम राज्यों के प्रतिनिधि।



1. कार्यकारी सारांश

डीब्रीफिंग कार्यशाला का आयोजन 22 अक्टूबर, 2026 को शिलांग में केएफडब्ल्यू (KfW) द्वारा सहायता-प्राप्त कार्यक्रम "असम, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड राज्यों में बराक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन" हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया। इस सत्र में क्षेत्रीय नीति-निर्माताओं, राज्यों के तकनीकी प्रमुखों तथा अध्ययन परामर्शदाताओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य चार पूर्वोत्तर राज्यों के 19 जिलों में किए गए क्षेत्रीय आकलन के निष्कर्षों की समीक्षा करना, प्रस्तावित परिवर्तन

सिद्धांत (ToC) का सत्यापन करना, मॉड्यूलर हस्तक्षेप पैकेजों का परीक्षण करना तथा संस्थागत कार्यान्वयन ढाँचे एवं जोखिम-न्यूनीकरण उपायों पर विचार-विमर्श करना था।

इस कार्यक्रम की परिकल्पना **8-वर्षीय, खुली/विषयगत पहल** के रूप में की गई है, जिसमें **प्रत्येक चयनित ग्राम/स्थल हेतु 6-वर्षीय कार्यान्वयन चक्र** अपनाया गया है। कार्यशाला के दौरान निर्धारित समग्र रणनीतिक आधार **"सामुदायिक गहनता + विभागीय व्यापकता + चयनात्मक अवसंरचना"** पर आधारित है, जिसमें प्रकृति-आधारित समाधानों, झरना-क्षेत्र (स्प्रिंगशेड) एवं ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र के पुनर्स्थापन, आजीविका सुदृढीकरण तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण को प्राथमिकता दी गई है।

2. सत्रवार कार्यशाला कार्यवाही

कार्यशाला की अध्यक्षता श्री सतिंदर कुमार भल्ला, सचिव, उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा की गई। कार्यशाला में श्री अंशुमन डे, संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER); श्री थांगलेमलियन, वित्तीय सलाहकार, उत्तर पूर्वी परिषद; श्रीमती शेरी लाइथांगज़ो, आर्थिक सलाहकार, उत्तर पूर्वी परिषद; श्री कायियो कायिना थ., प्रबंध निदेशक, NERCORMS; उत्तर पूर्वी परिषद एवं NERCORMS के अन्य वरिष्ठ अधिकारी; जीएफए, जर्मनी के नेतृत्व में व्यवहार्यता अध्ययन दल; तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), सिलचर, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड आदि के विशेषज्ञ उपस्थित रहे। असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला में भाग लिया।

सत्र 1: क्षेत्रीय आकलन परिणामों का सारांश (पूर्वाह्न 9:20 – पूर्वाह्न 10:00)

अध्ययन दल ने निर्दिष्ट नदी खंडों में किए गए नैदानिक आकलन की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों (जल/मृदा धारण), मध्य खंडों (अपवाह/अवसाद अवरोधन) तथा निचले बाढ़ मैदानों (भंडारण एवं जोखिम-प्रभाव प्रबंधन) के बीच भेद किया गया:



- **भौगोलिक कवरेज:** 4 राज्यों के 19 जिले।

- **असम (4 जिले):** कछार, हैलाकांडी, श्रीभूमि (करीमगंज) एवं दीमा हसाओ; 4 जिला-स्तरीय परामर्श, 27 स्थलों/ग्रामों का दौरा। अवलोकनों में व्यापक बाढ़-मैदानी जलप्लावन, तटबंधों में दरार, आर्द्रभूमि विखंडन तथा दीमा हसाओ में पहाड़ियों का गंभीर क्षरण/भूस्खलन प्रमुख रूप से उजागर हुए।
- **मणिपुर (5 जिले):** जिरीबाम, नोनी, फेरज़ॉल, सेनापति एवं तामेंगलॉंग; 1 राज्य-स्तरीय परामर्श, 3 जिला-स्तरीय परामर्श, 16 स्थलों का दौरा। प्रमुख समस्याओं के रूप में निचले जिरीबाम में नदी के मार्ग परिवर्तन एवं पश्चिम (बैकवाटर) बाढ़ के साथ-साथ सड़क/रेल कटान के कारण पहाड़ी ढलानों की अस्थिरता एवं अवसादन पाए गए।
- **नागालैंड (2 जिले):** कोहिमा एवं पेरेन; 1 राज्य-स्तरीय परामर्श, 2 जिला-स्तरीय परामर्श, 6 स्थलों का दौरा। यहाँ झरनों का सूखना, अत्यधिक नाला (गली) अपरदन, भूमि धंसाव तथा प्रथागत ग्राम प्रशासन पर निर्भरता प्रमुख विशेषताएँ हैं।
- **मिजोरम (8 जिले):** आइज़ोल, चम्फाई, खाज़ॉल, कोलासिब, लुंगलेई, ममित, सैतुअल एवं सेरछिप; 1 राज्य-स्तरीय परामर्श, 8 जिला-स्तरीय परामर्श, 21 स्थलों का दौरा। प्रमुख चुनौतियों में मानसूनी अपवाह, तीव्र ढलानों पर झूम खेती से अपरदन, सड़क कटान से ढहाव तथा नदी तट कटाव सम्मिलित हैं।
- **मुख्य निष्कर्ष:** कार्यक्रम की सीमा में ऐसे वृहद संरचनात्मक सार्वजनिक निर्माण कार्यों (जैसे विशाल तटबंध, प्रमुख राजमार्ग स्थिरीकरण) को स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाना चाहिए, जिनके लिए पृथक वैधानिक अधिदेश एवं सार्वजनिक वित्त अपेक्षित है; इसके स्थान पर लक्षित जैव-अभियांत्रिकी, झरना-क्षेत्र (स्प्रिंगशेड) पुनरुद्धार तथा विकेंद्रीकृत सामुदायिक जलग्रहण उपचार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

सत्र 2: हस्तक्षेप तर्क एवं परिवर्तन सिद्धांत (पूर्वाह्न 10:00 – पूर्वाह्न 10:40)

दल ने समग्र उद्देश्य को इस प्रकार प्रतिपादित किया:

"चयनित संवेदनशील क्षेत्रों में बराक नदी के उप-जलग्रहण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों का समावेशी एवं सतत रूप से पुनर्स्थापन, संरक्षण एवं प्रबंधन किया जाए।"

हस्तक्षेप तर्क के अंतर्गत कार्यक्रम को **छह परस्पर संबद्ध आउटपुट** के आधार पर संरचित किया गया है:

1. सहभागी उप-जलग्रहण नियोजन एवं नदी बेसिन शासन क्षमताओं का सुदृढीकरण।
2. आर्द्रभूमि, झरना-क्षेत्र (स्प्रिंगशेड), नदी-तटीय एवं जलग्रहण पारिस्थितिकी तंत्रों का पुनर्स्थापन एवं संरक्षण।
3. वनों एवं कृषि-वानिकी भू-परिदृश्यों का सतत प्रबंधन एवं पुनर्वास।
4. जलवायु-अनुकूल, संरक्षण-संबद्ध आजीविकाओं, भूमि उपयोग एवं मूल्य श्रृंखलाओं का विकास।
5. आपदा पूर्व-तैयारी में वृद्धि तथा लक्षित बाढ़/अपरदन जोखिम न्यूनीकरण।
6. कार्यक्रम प्रबंधन, पर्यावरणीय एवं सामाजिक (E&S) सुरक्षा उपायों, निगरानी तथा ज्ञान प्रबंधन का संस्थानीकरण।



सत्र 3: घटक, कार्यान्वयन पद्धतियाँ एवं "नो-रिग्रेट" उपाय (पूर्वाह्न 10:40 – पूर्वाह्न 11:40)

- **चरणबद्ध कार्यान्वयन:** 8 वर्ष की अवधि, जिसे निम्नानुसार संरचित किया गया है:
 - *पायलट चरण (वर्ष 1-2):* लगभग 100 ग्राम, जिनमें तत्काल प्रवेश संबंधी नो-रिग्रेट हस्तक्षेप किए जाएँगे।
 - *मुख्य चरण (वर्ष 3-6):* 560 ग्रामों में समग्र उपचार कार्यों का विस्तार।
 - *समेकन/समापन चरण (वर्ष 7-8):* अंतिम 460 ग्राम, चरणबद्ध निकासी एवं स्थायित्व हेतु हस्तांतरण।
- **ग्राम कार्यान्वयन चक्र:** प्रत्येक ग्राम हेतु 6-वर्षीय मानकीकृत परिचालन मॉडल, जिसमें क्रमबद्ध रूप से निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं: (1) संगठन एवं निदान (2) प्रारंभिक कार्यान्वयन (3) एकीकृत विस्तार (4) समेकन (5) हस्तांतरण की तैयारी (6) निकासी एवं सामुदायिक स्थायित्व।
- **नो-रिग्रेट हस्तक्षेप:** प्रारंभिक चरण के ऐसे निवेश, जो भविष्य की जलवायु संबंधी अनिश्चितता से निरपेक्ष रहते हुए तत्काल सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान करते हैं। प्रमुख उदाहरणों में छत पर वर्षा जल संचयन, झरना-स्रोत पुनर्भरण गड्ढे/कक्ष, सामुदायिक बीज एवं जैव-आदान संसाधन केंद्र (BRCs), सौर लिफ्ट सिंचाई तथा पशु-चिकित्सा सहायक (पैरावेट) प्रशिक्षण सम्मिलित हैं।
- **मुख्य तकनीकी पैकेज:**
 - *घटक I: नदी बेसिन प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)* (नाला अवरोधक/गली प्लग, पोर्क्युपाइन संरचनाएँ, जियो-जूट द्वारा ढलान स्थिरीकरण, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ)।
 - *घटक II: भू-परिदृश्य पुनर्स्थापन एवं संरक्षण* (झरना-क्षेत्र (स्प्रिंगशेड) पुनरुद्धार, आर्द्रभूमि का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, अवसाद अवरोधक)।
 - *घटक III: मृदा एवं जल संरक्षण* (समोच्च झाड़ी-टहनी वेदिकाएँ, SALT प्रणालियाँ, खेतों की मेड़बंदी, पलवार/मल्विंग)।

- घटक IV: आजीविका एवं मूल्य श्रृंखला संवर्धन (स्वयं सहायता समूह (SHG) परिक्रामी निधि, लघु वनोपज (NTFPs), हथकरघा/बुनाई, फसलोत्तर प्रसंस्करण)।
- घटक V: सामुदायिक विकास एवं प्रथागत शासन (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समूह (NaRMG) का गठन, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन प्रोटोकॉल)।

सत्र 4: क्षेत्र की पहचान एवं स्थल चयन दृष्टिकोण (पूर्वाह्न 11:50 – अपराह्न 12:20)

यह स्वीकार करते हुए कि कार्यक्रम बेसिन के 3,000 से अधिक ग्रामों में से 20% से भी कम ग्रामों को प्रत्यक्ष रूप से आच्छादित कर सकता है, **3-चरणीय चयन प्रक्रिया (सिलेक्शन फ़नल)** प्रस्तुत की गई:

1. **चरण 1 – प्राथमिकता हस्तक्षेप क्षेत्र (10,000–15,000 हेक्टेयर):** GIS बहु-स्तरीय ओवरले (वन घनत्व, झूम खेती की सघनता, बंजर भूमि/अपरदन की गंभीरता, आर्द्रभूमि की स्थिति) के माध्यम से उप-जलग्रहण क्षेत्रों का वृहद सीमांकन।
2. **चरण 2 – ग्राम प्राथमिकीकरण (एक्सेल रैंकिंग टूल):** क्षरण की तीव्रता, जल संकट, सड़क-बाज़ार संपर्कता तथा संबंधित विभागों के अभिसरण की संभावना के आधार पर ऊपरी एवं निचले ढलान वाले ग्रामों के युग्मित समूहों में ग्रामों का श्रेणीकरण।
3. **चरण 3 – पायलट ग्रामों का चयन (प्रति क्लस्टर अधिकतम 4):** आदर्श प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना हेतु प्रबंधनीय स्थलों (न्यून विवाद जोखिम, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों की उपलब्धता, सुदृढ़ स्थानीय तत्परता) का चयन।

सत्र 5: संस्थागत व्यवस्था एवं कार्यान्वयन संरचना (अपराह्न 12:20 – अपराह्न 12:50)

कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) एवं उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के तत्वावधान में एक स्वतंत्र कार्यान्वयन संरचना अपनाई गई है, जिसका संचालन क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में NERCORMS के माध्यम से किया जाएगा:

श्रेणी / स्तर	समन्वयकारी एवं शासी निकाय	परिचालन कार्यान्वयन इकाई	भूमिकाएँ एवं प्रमुख उत्तरदायित्व
राष्ट्रीय / क्षेत्रीय	कार्यक्रम शासी परिषद (अध्यक्ष: सचिव, MDoNER); कार्यक्रम कार्यकारी समिति (अध्यक्ष: सचिव, उत्तर पूर्वी परिषद)	क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (RPMU / NERCORMS), कार्यान्वयन परामर्शदाताओं सहित	रणनीतिक दिशा-निर्देश, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWPB) का अनुमोदन, क्षेत्रीय निधि प्रवाह, अधिप्राप्ति का पर्यवेक्षण, अंतर-राज्यीय नीतिगत विषयों का समाधान।
राज्य स्तर	राज्य समन्वय समिति (अध्यक्ष: अपर मुख्य सचिव)	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (SPMU), सिलचर, इंफाल, आइज़ोल एवं कोहिमा में स्थित	अंतर-विभागीय अभिसरण (वन, जल संसाधन विभाग, कृषि), राज्य-स्तरीय कार्य योजना का समेकन, अधिप्राप्ति सहायता।

श्रेणी / स्तर	समन्वयकारी एवं शासी निकाय	परिचालन कार्यान्वयन इकाई	भूमिकाएँ एवं प्रमुख उत्तरदायित्व
जिला स्तर	जिला निरीक्षण समिति (अध्यक्ष: उपायुक्त; सह-अध्यक्ष: प्रभागीय वनाधिकारी (DFO))	जिला सहायता दल (DSTs), जिसमें जल संसाधन विभाग (WRD)/सिविल अभियंता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NaRM) विशेषज्ञ तथा ग्रामीण विकास/आजीविका विशेषज्ञ सम्मिलित हैं	क्षेत्रीय तकनीकी जाँच, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का परीक्षण, ग्राम सूक्ष्म-योजनाओं का पर्यवेक्षण, DLO समन्वय, सुरक्षा उपायों का अनुपालन।
ग्राम / समुदाय	पारंपरिक ग्राम परिषदें / ग्राम पंचायतें	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समूह (NaRMGs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/कृषक हित समूहों (FIGs) सहित	सूक्ष्म-नियोजन, विभागीय (फोर्स-अकाउंट) पद्धति से सामुदायिक कार्यों का निष्पादन, स्थानीय रख-रखाव, सामाजिक लेखा-परीक्षा, सार्वजनिक वित्तीय प्रकटीकरण।

सत्र 6: जोखिम, सुरक्षा उपाय एवं जलवायु जाँच (अपराह्न 12:50 – अपराह्न 1:10)

- पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा उपाय (KfW स्थिरता दिशानिर्देश / विश्व बैंक ESS ढाँचा): इसे श्रेणी B+ (पर्याप्त जोखिम) में वर्गीकृत किया गया है। मूल्यांकन (अप्रेज़ल) से पूर्व अंतिम रूप दिए जाने वाले अनिवार्य सुरक्षा ढाँचे निम्नलिखित हैं:
 - ESS1/ESS2: पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA), पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (ESMP) तथा श्रम प्रबंधन प्रक्रियाएँ (LMP)।
 - ESS5/ESS7: आजीविका पुनर्स्थापन योजनाएँ (LRP) तथा स्वदेशी जन नियोजन ढाँचा (IPPF), जो प्रथागत भू-धृति व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति (FPIC) सुनिश्चित करे।
 - ESS10: हितधारक सहभागिता योजना (SEP) तथा ग्राम से बेसिन स्तर तक शिकायत निवारण तंत्र (GRM)।
- जलवायु जोखिम रूपरेखा: आधार-रेखा जाँच से सभी राज्यों में अत्यधिक वर्षा की तीव्र घटनाओं, भूस्खलन तथा दीर्घ शुष्क-मौसमी जल संकट के प्रति उच्च संवेदनशीलता परिलक्षित हुई। सक्रिय भू-आपदा मार्गों पर निर्माण से बचने हेतु सभी अभियांत्रिक एवं जैव-अभियांत्रिक परिसंपत्तियों की CMIP6 / CORDEX अनुमानों (SSP2-4.5 से SSP3-7.0) के आधार पर जाँच की जानी अनिवार्य है।

4. प्रमुख विचार-विमर्श एवं हितधारकों की प्रतिक्रिया

1. **प्रथागत भू-धृति एवं स्थानीय स्वामित्व:** नागालैंड एवं मिजोरम के प्रतिनिधियों ने इस बात पर बल दिया कि चूँकि भूमि प्रथागत परिषदों के अधीन सामुदायिक अथवा निजी स्वामित्व में है, अतः भौतिक कार्य अथवा वृक्षारोपण प्रारंभ करने से पूर्व औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoUs) एवं अग्रिम लाभ-साझाकरण ढाँचे अत्यंत आवश्यक हैं।
2. **अवसंरचना की सीमाएँ:** इस पर सहमति बनी कि यद्यपि सड़क कटान से निकलने वाला मलबा एवं राजमार्गों पर भूस्खलन भारी क्षति पहुँचाते हैं, तथापि परियोजना सार्वजनिक परिवहन गलियारों की सिविल अभियांत्रिकी लागत वहन नहीं कर सकती। इसके स्थान पर, अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से अवसंरचना विकासकर्ताओं द्वारा मलबा प्रबंधन को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
3. **निष्पादन क्षमता एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की गुणवत्ता:** प्रतिभागियों ने ग्राम संस्थाओं की असमान क्षमताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। NERCORMS को पूर्व-आरंभ चरण के प्रारंभ में ही सहयोगी गैर-सरकारी संगठनों एवं संबंधित विभागों के क्षेत्रीय कार्मिकों हेतु संरचित, मॉड्यूलर क्षमता-निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए।
4. **प्रमुख अनुशंसाएँ एवं आगामी कार्रवाई**
 1. **पूर्व-आरंभ राज्य समझौता ज्ञापन (MoUs):** उत्तर पूर्वी परिषद/NERCORMS एवं चारों राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया जाए, जिनमें स्थल चयन मानदंड, अंतर-विभागीय अभिसरण तंत्र तथा SPMUs/DSTs हेतु परिचालन स्टाफ की व्यवस्था का उल्लेख हो।
 2. **विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का परिष्करण:** क्षेत्रीय आकलन टिप्पणियों को राज्य-विशिष्ट DPR अनुलग्नकों में समाहित किया जाए तथा उनमें अंशांकित 3-चरणीय GIS स्थल चयन पद्धति को सम्मिलित किया जाए।
 3. **पर्यावरणीय एवं सामाजिक (E&S) उपकरणों को अंतिम रूप देना:** KfW के अंतिम मूल्यांकन अनुमोदन हेतु अपेक्षित ESMP, IPPF एवं GRM प्रोटोकॉल की औपचारिक तैयारी में तेज़ी लाई जाए।
 4. **100-ग्राम पायलट हेतु तत्परता:** प्रारंभिक पायलट क्लस्टरों का स्थानिक सीमांकन पूर्ण किया जाए, ताकि कार्यक्रम के प्रभावी होने के तुरंत पश्चात सामुदायिक प्रवेश प्रारंभ किया जा सके एवं नो-रिग्रेट उपाय लागू किए जा सकें।



